न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 127/2015

1 जगदीश कुमार पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाटडानाऊ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रूकमणी स्त्री भारसिंह (नाम हजफ)
2 भंवर सिंह पुत्र भारसिंह
3 ओमप्रकाश पुत्र भारसिंह
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाटडानाऊ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।
4 रामकोरी पुत्री भारसिंह स्त्री भंवरसिंह जाति जाट निवासिनी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राज.।
5 हरलाल सिह पुत्र दीपाराम
6 गोपाल सिंह पुत्र दीपाराम (मृत)
6/1 श्रीमती सोनी देवी स्त्री स्व गोपाल सिंह
6/2 मुकेश कुमार पुत्र स्व. गोपाल सिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बाटडानाऊ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।
6/3 इन्द्रा पुत्री स्व. गोपाल सिंह स्त्री शिवलाल बेनीवाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राज.।
6/4 विजयकरणी पुत्री स्व. गोपाल सिंह स्त्री महावीर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम कुशपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 रिछपाल सिंह पुत्र दीपाराम
8 रामकुवार सिंह पुत्र दीपाराम
9 श्रीमती पारा देवी स्त्री जिनकूराम
10 देवी सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह
11 भागीरथ सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह
12 किशोर सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह
13 महेश पुत्र स्व. नारायण सिंह
14 सन्तोष कुमार पुत्र स्व. नारायण सिंह
15 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह
16 श्रीमती चावली स्त्री स्व. नारायण सिंह
17 ताराचन्द पुत्र स्व. चिमन सिंह
18 श्रीचन्द पुत्र स्व. चिमन सिंह
19 सुमेर सिंह पुत्र स्व. चिमन सिंह
20 गिरधारी सिंह पुत्र स्व. चिमन सिंह
21 श्रीमती तुलछी बेवाह छतु सिंह
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाटडानाऊ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।
22 तहसीलदार, तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
23 मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक ग्राम बाटडानाऊ तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी,
लक्ष्मणगढ़ सीकर दिनांक 06.07.2015 बसिलसिलेदावा
उनवान भारसिंह बनाम हरलाल सिंह आदि दावा संख्या
172/2012 दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 172/2012 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ सीकर के यहां वादी भारसिंह (मृत) ने एक दावा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 23 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। दौराने दावा वादी भारसिंह की मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 वादी के स्थान पर पक्षकार बनाये गये। वादी ने अपना वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजियात खसरा नम्बर 35 रकबा 11.51 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 102 रकबा 15.84 हैक्टेयर तन ग्राम बाटडानाऊ स्थित है जिसमें वादी (मृत) (रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 4) का 1/6 हिस्सा है उक्त आराजियात संयुक्त खातेदार की पैतृक कृषि भूमियां है उक्त आराजियात संयुक्त कब्जे की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

अविभाजित आराजियात बिना बंटवारे की पैतृक कृषि भूमियां है जिनका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ व बंटवारे की इस्तदुआ की। दावा दर्ज होने पर प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टान संख्या 5 लगा 7, 10, 12, 16 व अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 19 की और से श्री बलबीरसिंह ढेवा एडवोकेट उपस्थित हुये व शेष रेस्पोडेन्टान की इकतरफा कार्यवाही की गई व दिनांक 10.10.2012 को तहसीलदार लक्षमणगढ़ को विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश दिया जो दिनांक 28.10.2012 को प्राप्त होने पर शामिल फाईल किया गया उक्त विभाजन प्रस्ताव को विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.04.2014 के द्वारा अमान्य किया व पुनः तहसीलदार लक्षमणगढ़ को विभाजन प्रस्ताव खातेदारान के हिस्से अनुसार तैयार कर भिजवाने का आदेश दिया जो दिनांक 13.04.2014 को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया जिस पर अपीलांट ने जरिये वकील आपत्ति प्रस्तुत की जिसकी बहस हेतु पत्रावली दिनांक 06.07.2015 के लिए नियत थी व उस रोज पत्रावली कैम्प कोर्ट बादूसर में लेकर बंटवारा प्रस्ताव की सुनवाई किए बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 के द्वारा वादी का दावा डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तहसीलदार लक्षमणगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव के बाबत अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में दिनांक 31.12.2014 की सुनवाई हेतु पेशियां पड़ती रही व उक्त आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट व उसके वकील को सुने बिना ही व उक्त आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.04.2014 के द्वारा पूर्व में बंटवारा प्रस्ताव को अमान्य करकें तहसीलदार लक्षमणगढ़ को आदेश दिय कि 'पुनः विभाजन प्रस्ताव खातेदारान के हिस्से अनुसार तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें' उक्त आदेश की पालना में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार लक्षमणगढ़ न तो स्वयं मौके पर गये व न अपीलान्ट व अन्य रिकार्डेड खातेदार को कोई नोटिस दिया व न पक्षकारान की उपस्थिति में पटवारी हल्का ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया व रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 4 के कहे अनुसार मौके की स्थिति के व विचारण न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजुद अपनी मर्जी मुताबिक गलत बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार लक्षमणगढ़ मौके पर स्वयं गये बिना ही केवल काउन्टर हस्ताक्षर करकें विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्षमणगढ़ में भेज दिया। जिसे विचारण न्यायालय ने देखे बिना ही बंटवारा प्रस्ताव के निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार लक्षमणगढ़ को दिनांक 30.04.2014 को स्पष्ट आदेश दिया था कि खातेदारान के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करकें भिजवाये परन्तु जो बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ उसमें अपीलान्ट के 1/9 हिस्से का कोई विभाजन नहीं किया गया व बंटवारा प्रस्ताव में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 18 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 35/3, 35/7 व 102/1 दिया है व इस प्रकार सभी खातेदारान के हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव नहीं होते हुये व अपीलान्ट द्वारा उक्त बंटवारा की आपत्ति किए जाने के बावजूद आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही अपना निर्णय पारित किया जो कानूनी गलत है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 18 को प्रस्तावित बंटवारा में जो भूमि दी गई उसमें खसरा नम्बर 102/1 के मौके पर विभाजन अनुसार रास्ता नहीं दिया गया व उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 102/1 में से नहीं है व उक्त रास्ता खसरा नम्बर 102/2 व 102/4 में से है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 102/2 के बीचों बीच उतर दक्षिण रास्ता मौके पर मौजुद है व उक्त रास्ते के बीच से पूर्व पश्चिम भूमि खसरा नम्बर 102/1 के रास्ता लगता है जो बंटवारा प्रस्ताव में नहीं दिखाया गया व इसी प्रकार खसरा नम्बर 35/6 के उतरी साईड में आवागमन हेतु प्रस्तावित बंटवारा स्कीम में रास्ता दिया हुआ है व खसरा नम्बर 35/7 में से 35/6 को पुनः रास्ता खसरा नम्बर 35/7 की पुर्वी सींव के सहारे सहारे खसरा नम्बर 35/6 की दक्षिणी पूर्वी कोने तक दिया गया है जो कतई आवश्यक नहीं था

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

उक्त रास्ते को खसरा नम्बर 35/6 की पूर्वी सींव तक दिया जाने योग्य था जिससे अपीलान्ट भी आगे खसरा नम्बर 35/3 में जा सकता था इस प्रकार मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरूप कोई रास्ता नहीं दिया गया व इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा की गई आपत्ति का कोई निस्तारण किए बिना आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में न तो सभी खातेदारान का बंटवारा किया है और न लगान ही अलग निर्धारित किया है व बंटवारा सम्बन्धी नियमों की पालना की है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय व डिक्री पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं को सुने बिना ही व कैम्प कोर्ट बादूसर में सुनवाई का कोई नोटिस दिए बिना ही व बंटवारा प्रस्ताव की आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही अपनी मर्जी मुताबिक अपना निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विधि अनुसार अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार लक्षमणगढ़ द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव के बाबत अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में दिनांक 31.12.2014 की सुनवाई हेतु पेशियां पड़ती रही व उक्त आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट व उसके वकील को सुने बिना ही व उक्त आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.04.2014 के द्वारा पूर्व में बंटवारा प्रस्ताव को अमान्य करकें तहसीलदार लक्षमणगढ़ को आदेश दिय कि 'पुनः विभाजन प्रस्ताव खातेदारान के हिस्से अनुसार तैयार कर भिजवाने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हेतु लिखा जावें'। अपीलान्ट व अन्य रिकार्डेड खातेदार को कोई नोटिस नहीं दिया व न पक्षकारान की उपस्थिति में पटवारी हल्का ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जिसे विचारण न्यायालय ने देखे बिना ही बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार लक्षमणगढ़ को दिनांक 30.04.2014 को स्पष्ट आदेश दिया था कि खातेदारान के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करकें भिजवाये परन्तु जो बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ उसमें अपीलान्ट के 1/9 हिस्से का कोई विभाजन नहीं किया गया व बंटवारा प्रस्ताव में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 18 को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 35/3, 35/7 व 102/1 दिया है व इस प्रकार सभी खातेदारान के हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव नहीं होते हुये व अपीलान्ट द्वारा उक्त बंटवारा की आपत्ति किए जाने के बावजूद आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 18 को प्रस्तावित बंटवारा में जो भूमि दी गई उसमें खसरा नम्बर 102/1 के मौके पर विभाजन अनुसार रास्ता नहीं दिया गया इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा की गई आपत्ति का कोई निस्तारण किए बिना आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में न तो सभी खातेदारान का बंटवारा किया है और न लगान ही अलग निर्धारित किया है व बंटवारा सम्बन्धी नियमों की पालना की है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय व डिक्री पक्षकारान व उनके अधिवक्ताओं को सुने बिना ही व कैम्प कोर्ट बादूसर में सुनवाई का कोई नोटिस दिए बिना ही व बंटवारा प्रस्ताव की आपत्ति का निस्तारण किए बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर